न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 45 / 2024
अनवान :–

1. सुरेश पुत्र कुनणचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम्

1. दयानन्द पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. बलवन्तसिह पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर
3. रामकिशन पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर
4. लीलूराम पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

असल गेरसायल

6. कीर्ती गौड पुत्री आत्माराम जाति ब्राहम्ण निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. मीतु पत्नी आत्माराम जाति ब्राहम्ण निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. सरोज पुत्री कुनणचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी परलीका तहसील नोहर।
9. हर्षित पुत्र आत्माराम जाति ब्राहम्ण निवासी परलीका तहसील नोहर।

तरतीबी गैरसायलसन

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा, अभिभाषक, सायल
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक : 21/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 113 / 110 की कुल 2.5300हैक्‍ कृषि भूमि सायल एव तरतीबी गैरसायल संख्या 6 ता 9 की मुश्तरका खाता में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 48 / 46 की कुल 2.5300हैक्‍ भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 4 की मुश्तरका खाता में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायल को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये कोई भी स्वीकृत रास्ता नही है जिससे सायल को अपनी भूमि काश्त करने के लिये भारी परेशानी का सामना करना पडता है सायल व गेरसायल की कृषि भूमि चिपते हुए है सायल अपने गांव से चलकर स्वीकृतशुद्वा रास्ता से होते हुए गेरसायल संख्या 1 ता 4 की भूमि रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 48 / 46 के प0न0 370 / 421(45) के किला न0 5 / 1 की 0.2280हैक्‍ के मिन पूर्व की 0.017हैक्‍ व किला न0 6 की 0.2530हैक्‍ भूमि के मिन पूर्व की 00.019हैक्‍ भूमि से होते हुए अपनी खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 113 / 110 के प0न0 370 / 421(45) के किला न0 15 में प्रवेश कर जाता है यह रास्ता सदामत से चालू रास्ता है

सायल को अपनी भूमि में आवागमन करने हेतु उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है उक्त रास्ता सबसे सुविधाजनक एव नजदीकी रास्ता है सायल उक्त रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है सायल उक्त रास्ते मे जितनी भूमि आती है उतनी भूमि गैरसायल के चिपते हुए देने को तेयार है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 ता 4 की भूमि रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 48 / 46 के प0न0 370 / 421(45) के किला न0 5 / 1 की 0.2280हैक्‍ भूमि में से मिन पूर्व की 0.017हैक्‍ एव किला न0 6 की 0.2530हैक्‍ भूमि के मिन पूर्व की 0.019हैक्‍ भूमि में रास्ता के रूप में स्वीकृत किया करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गेरसायलान को [illegible] नोटिस से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक प[illegible] कार्यवाही अमल में लाई गई तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट ली जाकर शामिल [illegible] सायल की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र मे अंकि[illegible] को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये कोई भी स्वीकृत रास्ता नही है जिससे सायल को अपनी भूमि काश्त करने के लिये भारी परेशानी का सामना करना

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:41:54 IST
Reason: SelfAttested

पडता है सायल व गेरसायल की कृषि भूमि चिपते हुए है सायल अपने गांव से चलकर स्वीकृतशुद्वा रास्ता से होते हुए गेरसायल संख्या 1 ता 4 की भूमि रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 48/46 के प0न0 370/421(45) के किला न0 5/1 की 0.2280हैक्‍ के मिन पूर्व की 0.017हैक्‍ व किला न0 6 की 0.2530हैक्‍ भूमि के मिन पूर्व की 00.019हैक्‍ भूमि से होते हुए अपनी खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 113/110 के प0न0 370/421(45) के किला न0 15 में प्रवेश कर जाता है यह रास्ता सदामत से चालू रास्ता है

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 ता 4 की भूमि रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 48/46 के प0न0 370/421(45) के किला न0 5/1 की 0.2280हैक्‍ भूमि में से मिन पूर्व की 0.017हैक्‍ एव किला न0 6 की 0.2530हैक्‍ भूमि के मिन पूर्व की 0.019हैक्‍ भूमि में रास्ता के रूप में स्वीकृत किया करने के आदेश फरमाावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 113/110 की कुल 2.5300हैक्‍ कृषि भूमि सायल एव तरतीबी गैरसायल संख्या 6 ता 9 की मुश्तरका खाता में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 48/46 की कुल 2.5300हैक्‍ भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 4 की मुश्तरका खाता में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायल का कथन है कि सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है सायल गैरसायल के किला न0 5/1, 6 के मिन पूर्व से होकर अपनी भूमि में आवागमन कर रहा है जिसे स्वीकृत करवाने का अधिकारी है सायल का कथन स्वीकार योग्य है क्योकि प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार रोही मौजा चक 15 एनटीआर के प0न0 370/421(45) की पत्थर लाईन पर स्वीकृतशुद्वा रास्ता है तथा स्वीकृशुद्वा रास्ता के चिपते हुए ही गैरसायल की भूमि है गैरसायल की दो किला दुरी पर सायल की भूमि है सायल गैरसायल की दो किलो में रास्ता स्वीकृत करने पर सायल अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश कर जाता है जो सायल की भूमि में पहुचने के लिये सबसे उपयुक्त रास्ता प्रतीत होता है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जाना न्यायोचित है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार स्वीकृत शुद्वा रास्ता से सायल की खातेदारी भूमि तक पहुचने का सबसे छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता प्रतित होता है

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता मौका रिपोर्ट अनुसार दिया जाना उचित प्रतित होता है जिससे गैरसायलान को भी नुकसान नही हो रहा है।

अतः साायल का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एवं किसी प्रकार की आपत्ति पेश नही होने के कारण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 ता 4 की भूमि रोही मौजा चक 15 एनटीआर के खाता संख्या 48/46 के प0न0 370/421(45) के किला न0 5/1 की 0.2280हैक्‍ भूमि में से मिन पूर्व की 0.017हैक्‍ एव किला न0 6 की 0.2530हैक्‍ भूमि के मिन पूर्व की 0.019हैक्‍ भूमि में रास्ता के रूप में स्वीकृत किया तथा तथा रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि सायल गेरसायलान को उनकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/01/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:41:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)